

1. राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

एस.बी सिविल रिट याचिका संख्या 5038/2000

मुकेश खरैरा, पिता श्री लाल सिंह खरैरा, उम्र लगभग 29 वर्ष, स्थायी निवासी
क्वार्टर नं. 2018-बी, हजारी बाग, रेलवे कॉलोनी, अजमेर (राजस्थान)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक, चर्च गेट, मुंबई के माध्यम से।
2. वरिष्ठ मंडलीय चिकित्सा अधिकारी (आउटडोर), पश्चिम रेलवे, कोटा
(राजस्थान)

----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए	:	श्री अरिहंत समदारिया, श्री सुनील समदारिया
उत्तरदाता(यों) के लिए	:	सुश्री निधि खंडेलवाल

माननीय श्री जस्टिस समीर जैन

आदेश

रिपोर्टेबल

आरक्षित किया गया 06/03/2024

निर्णीत किया गया 16/05/2024

1. वर्तमान याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें निम्नलिखित प्रार्थनाएँ की गई हैं, जैसा कि नीचे पुनरुत्पादित है:

“(ए) आदेश दिनांक 4.10.2000 (अनुबंध-18) को रद्द किया जाए, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को 06.02.2000 से 27.02.2000 तक तथा 14.3.2000 से 4.9.2000 तक आई.ओ.डी. से अनैध अनुपस्थित दिखाया गया है और तदनुसार आदेश दिनांक 4.10.2000 (अनुबंध-17) को भी रद्द किया जाए, जिसके द्वारा उक्त अवधि का भुगतान रोकने के आदेश दिए गए हैं।

(बी) रिट याचिका की लागत स्वीकृत की जाए, तथा

(सी) कोई अन्य राहत जो इस माननीय न्यायालय को उचित प्रतीत हो, तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर, याचिकाकर्ता को प्रतिवादियों से दी जाए।”

2. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दलील दी है कि दिनांक 04.10.2000 (अनुलग्नक-17) का आदेश, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को 06.02.2000 से 27.02.2000 और 14.03.2000 से 04.09.2000 के बीच की अवधि के लिए वेतन का भुगतान रोक दिया गया है, कानून की नजर में टिकने योग्य नहीं है। इस संबंध में, विद्वान वकील ने कहा कि रेलवे सुरक्षा बल के सदस्य अस्पताल की छुट्टी के हकदार हैं, जब वे रोजगार के दौरान और/या उससे उत्पन्न दुर्घटना के कारण लगी चोटों का इलाज कराते हैं। उक्त अस्पताल की छुट्टी के दौरान, रेलवे कर्मचारी वेतन पाने के हकदार हैं, जो कि मंजूरी देने वाले प्राधिकारी द्वारा इस्तेमाल किए गए विवेक के अनुसार आधा वेतन या पूरा वेतन होता है। इसके अलावा, जिस अवधि के लिए उक्त रेलवे कर्मचारी चोट के कारण कर्तव्यों को फिर से शुरू

करने के लिए अयोग्य होते हैं, उन्हें आईओडी यानी इयूटी पर घायल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कोई भी व्यक्ति, उस अवधि के लिए, जिसके दौरान वह आईओडी या बीमार रहता है, आधा वेतन या पूरा वेतन पाने का हकदार है।

3. हालाँकि, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह तर्क दिया गया कि एक विषम स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके तहत हालांकि रेलवे ने याचिकाकर्ता को 01.01.2000 से 05.10.2000 तक इयूटी पर लौटने के लिए अयोग्य मान लिया है, फिर भी उन्होंने याचिकाकर्ता को केवल निम्नलिखित अवधियों के लिए आईओडी और/या बीमार माना है, अर्थात् 18.01.2000 से 03.02.2000, 28.02.2000 से 13.03.2000 और 05.09.2000 से 04.10.2000 तक, जिससे उसे 06.02.2000 से 27.02.2000 और 14.03.2000 से 04.09.2000 के बीच की अवधि के लिए लाभ/वेतन से वंचित कर दिया गया है, क्योंकि याचिकाकर्ता अनुपस्थित, इस तथ्य के अस्तित्व के बावजूद कि याचिकाकर्ता को जगजीवन राम अस्पताल, मुंबई द्वारा 29.09.2000 को मूल इयूटी के लिए 'फिट' घोषित किया गया था, जिसे प्रतिवादी-रेलवे ने स्वयं संदर्भित किया था; इसका अर्थ यह है कि याचिकाकर्ता 01.01.2000 से 30.09.2000 तक इयूटी करने के लिए स्वीकार्य रूप से बीमार और अयोग्य था।

4. उपर्युक्त अवधि के लिए याचिकाकर्ता को 'फिट' मानने की कथित त्रुटि को पुष्ट करने हेतु, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क रखा कि याचिकाकर्ता को 30.03.2000 को

बीमार सूची से मुक्त नहीं किया जा सकता था और इसलिए उसके संबंध में 'फिट' प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि याचिकाकर्ता वास्तव में बीमार था, जैसा कि अभिलेख में प्रतिबिंबित होता है। इस संबंध में, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता का पैर 20.04.2000 को एम.बी.एस. अस्पताल, कोटा में ऑपरेट किया गया था।

5. इस पृष्ठभूमि में, विद्वान वकील ने निर्णायक रूप से तर्क दिया कि रेलवे की आपत्तिजनक कार्रवाई को इस तथ्य के मद्देनजर बरकरार नहीं रखा जा सकता है कि रेलवे ने स्वयं स्वीकार किया है कि याचिकाकर्ता अनुलग्नक-19 के माध्यम से 01.01.2000 से 05.10.2000 तक बीमार और अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए अयोग्य था। यह तथ्य जगजीवन राम अस्पताल यानी रेलवे द्वारा नियुक्त अस्पताल द्वारा जारी प्रमाण पत्र से और भी पुष्ट होता है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को 30.09.2000 को ही 'मूल कर्तव्य के लिए उपयुक्त' प्रमाण पत्र जारी किया गया था। इसलिए, एक ओर याचिकाकर्ता को बीमार और अयोग्य मानना और दूसरी ओर उसी अवधि के लिए आईओडी न मानना, इस प्रकार उसे उस अवधि के लिए अवकाश वेतन के अधिकार से वंचित करना कानून की दृष्टि में मनमाना, तर्कहीन और अस्थिर है। इसलिए, यह प्रार्थना की गई कि वर्तमान याचिका को उक्त प्रार्थनाओं के संदर्भ में अनुमति दी जाए, जिससे याचिकाकर्ता को ऊपर उल्लिखित अवधि के लिए वेतन के भुगतान का अधिकार मिल सके।

6. इसके विपरीत, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आदेश दिनांक 04.10.2000 (अनुबंध-17), जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के वेतन का भुगतान, जो अवधि 06.02.2000 से 27.02.2000 तथा 14.03.2000 से 04.09.2000 के मध्य लंबित था, रोका गया, वह विधि की दृष्टि में सही है। अतः, कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है। उक्त तर्क के समर्थन में, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि यह निर्विवाद तथ्य है कि याचिकाकर्ता को इयूटी के दौरान कुछ चोटें आईं और उसके बाद रेलवे अस्पताल में उसका उपचार हुआ, फिर भी 29.02.2000 को याचिकाकर्ता को रेलवे/प्रतिवादी प्राधिकरण द्वारा आगे के उपचार हेतु रेलवे द्वारा नियुक्त अस्पताल अर्थात् जगजीवन राम अस्पताल, मुंबई में जाने की सलाह दी गई थी। किन्तु याचिकाकर्ता ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने एम.बी.एस. अस्पताल, कोटा (सरकारी अस्पताल) में उपचार कराया, जो रेलवे मैनुअल 2000 के अध्याय-V का उल्लंघन है, जिसमें यह स्थापित किया गया है कि यदि कोई कर्मचारी मेडिकल ऑफिसर की अनुमति के बिना रिपोर्ट करने से इनकार करता है और/या सलाहानुसार चिकित्सा उपचार हेतु अनुपस्थित रहता है, तो ऐसे कर्मचारी के लिए 'अनुपस्थित रहने पर मुक्त' किया गया का प्रभाव वाला प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। अतः, चूंकि याचिकाकर्ता ने मुंबई के रेलवे स्वीकृत/संदर्भित अस्पताल के बजाय कोटा के सरकारी अस्पताल में उपचार कराया, इसलिए चुनौतीपूर्ण आदेश पारित किया गया। उपर्युक्त के आलोक में,

प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान याचिका को निरस्त करने की प्रार्थना की।

7. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना और अभिलेख का परीक्षण किया गया।

8. वर्तमान याचिका के अभिलेख की सतत एवं गंभीर जाँच के पश्चात, निम्न उल्लेखनीय तथ्यात्मक स्थितियाँ उभर कर आईं, जो इस न्यायालय के समक्ष वाद के निर्णय पर सीधा प्रभाव डालेंगी, अर्थात्:-

8.1 वर्ष 1997 में, याचिकाकर्ता को प्रतिवादी-रेलवे सुरक्षा बल में 'कांस्टेबल' पद पर नियुक्त किया गया।

8.2 दिनांक 31.12.1999 को, याचिकाकर्ता बॉम्बे-जम्मू तवी एक्सप्रेस में ड्यूटी के दौरान दुर्घटना का शिकार हुआ और परिणामस्वरूप उसके दाहिने पैर में फ्रैक्चर हो गया।

8.3 01.01.2000 से 06.01.2000 तक, याचिकाकर्ता को एम.बी.एस अस्पताल, कोटा में भर्ती कराया गया, जैसा कि अनुबंध-1 से स्पष्ट है।

8.4 याचिकाकर्ता की घायलावस्था की रेलवे अस्पताल में जाँच की गई, जिसमें उसे 'गंभीर' श्रेणी में रखा गया, जैसा कि अनुबंध-2 में उल्लिखित है।

8.5 इसी 18.01.2000 को, रेलवे के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा 'बीमार प्रमाणपत्र' जारी किया गया और याचिकाकर्ता को 01.01.2000 से आगामी 2 माह के लिए अयोग्य घोषित किया, जैसा कि अनुबंध-3 में उल्लिखित है।

8.6 05.02.2000 को, याचिकाकर्ता ने पुनः अपने दाहिने पैर की जाँच हेतु रेलवे अस्पताल का दौरा किया, जहाँ से उसे आगे के उपचार के लिए एम.बी.एस. अस्पताल, कोटा भेजा गया, जैसा कि अनुबंध-4 में उल्लिखित है।

8.7 29.02.2000 को, रेलवे के चिकित्सा अधिकारी द्वारा 'सतत बीमार प्रमाणपत्र' जारी किया गया और परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता को 25.02.2000 से 15.04.2000 तक आगे के लिए अयोग्य घोषित किया गया, जैसा कि अनुबंध-5 में उल्लिखित है।

8.8 29.03.2000 को, याचिकाकर्ता को उसके दाहिने पैर की सर्जरी कराने की सलाह दी गई, जो एम.बी.एस. अस्पताल, कोटा में करानी थी।

8.9 30.03.2000 को, घायल होने के बावजूद, याचिकाकर्ता को बीमार सूची से इस आधार पर हटा दिया गया कि उसने अपने पैर के उपचार हेतु मुंबई के जगजीवन राम अस्पताल के निर्देशों का पालन नहीं किया, बल्कि स्वयं कोटा के एम.बी.एस. अस्पताल में उपचार कराया। उक्त सूची से हटाने एवं उसके कारण अनुबंध-7 में उल्लिखित हैं।

8.10 10.04.2000 को, याचिकाकर्ता ने अपने दाहिने पैर के ऑपरेशन के लिए एम.बी.एस. अस्पताल, कोटा में स्वयं को भर्ती कराया, जैसा कि अनुबंध-9 में उल्लिखित है।

8.11 20.04.2000 को, याचिकाकर्ता का ऑपरेशन एम.बी.एस. अस्पताल, कोटा में हुआ, जैसा कि अनुबंध-9 में उल्लिखित है।

8.12 20.05.2000 को, याचिकाकर्ता को एम.बी.एस. अस्पताल, कोटा से छुट्टी दे दी गई, जैसा कि अनुबंध-9 में भी उल्लिखित है।

8.13 सर्जरी के पश्चात, अनुबंध-11 और अनुबंध-12, दिनांक 01.05.2000 और 02.06.2000 के अनुसार, याचिकाकर्ता को दो माह तक, अर्थात् 01.07.2000 तक विश्राम की सलाह दी गई।

8.14 04.09.2000 को, अनुबंध-13 के अनुसार, याचिकाकर्ता को 05.09.2000 से इयूटी ज्वॉइन/पुनःग्रहण करने हेतु 'फिट' घोषित किया गया।

8.15 19.09.2000 को, अनुबंध-15 के अनुसार, याचिकाकर्ता को 'फिट सर्टिफिकेट' प्राप्त करने के लिए जगजीवन राम अस्पताल, मुंबई भेजा गया।

8.16 29.09.2000 को, जगजीवन राम अस्पताल, मुंबई द्वारा याचिकाकर्ता को 'मूल कार्य हेतु फिट' घोषित किया गया, जैसा कि अनुबंध-16 में उल्लिखित है।

8.17 04.10.2000 को, अनुबंध-17 और अनुबंध-18 के अनुसार, प्रतिवादियों द्वारा आदेश पारित किए गए, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को 06.02.2000 से

27.02.2000 एवं 14.03.2000 से 04.09.2000 तक आई.ओ.डी के रूप में अनुपस्थित दिखाया गया और तदनुसार निर्देश दिए गए कि उक्त निर्दिष्ट अवधि का याचिकाकर्ता का वेतन रोका जाए।

9. उक्त तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर ध्यान देने के बाद, यह न्यायालय यह स्पष्ट करना उचित समझता है कि इस न्यायालय के समक्ष कारण और विवाद संक्षिप्त दायरे का है, जिसे प्रतिवादियों की कार्रवाइयों द्वारा परिभाषित किया जा सकता है, जिसके तहत याचिकाकर्ता के शरीर पर एक स्वीकृत चोट के बावजूद, निर्दिष्ट अवधि के लिए उसका वेतन रोक दिया गया था, केवल इस कारण से कि याचिकाकर्ता ने एम.बी.एस. अस्पताल कोटा में इलाज कराया था, जो एक सरकारी अस्पताल है, न कि रेलवे द्वारा सलाह/अनुशंसित अस्पताल अर्थात् जगजीवन राम अस्पताल, मुंबई में।

10. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, यह न्यायालय निम्नलिखित कारणों से वर्तमान याचिका को स्वीकृत करना उपयुक्त समझता है, अर्थात्:-

10.1 अभिलेख पर प्रस्तुत याचिकाकर्ता के चिकित्सा उपचार का सरलीकृत परीक्षण यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता 01.01.2000 से 04.09.2000 तक कर्तव्यों में शामिल होने के लिए अयोग्य था और इस प्रकार, उसे प्रतिवादियों द्वारा आई.ओ.डी के रूप में अनुपस्थित नहीं दिखाया जा सकता था।

10.2 उपचार के लिए आरम्भिक प्रयास में, याचिकाकर्ता ने विधिवत रेलवे अस्पताल में अपनी जांच कराई, जिसमें उसकी चोट को 'गंभीर' माना गया और परिणामस्वरूप, प्रतिवादियों द्वारा उसे आगे के उपचार हेतु एम.बी.एस. अस्पताल, कोटा भेजा गया। अतः, प्रतिवादियों का यह तर्क कि याचिकाकर्ता ने जगजीवन राम अस्पताल, मुंबई के स्थान पर एम.बी.एस. अस्पताल, कोटा में अपना उपचार कराया, पूर्णतः भ्रान्तिपूर्ण है क्योंकि याचिकाकर्ता को स्वयं प्रतिवादियों ने कोटा के अस्पताल में भेजा था। इस संबंध में अनुबंध-4 पर भरोसा किया जा सकता है।

10.3 प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ता को बीमार सूची से हटाए जाने के आधार, जहाँ तक वे कोटा में उपचार कराने से संबंधित हैं, मुंबई में उपचार कराने के स्थान पर, उन्हें निम्नलिखित कारणों से स्वीकार नहीं किया जा सकता:

क. किसी विशेष अस्पताल में उपचार कराने से इंकार करने का याचिकाकर्ता की स्वास्थ्य-योग्यता से कोई संबंध नहीं है।

ख. एम.बी.एस. अस्पताल, कोटा एक स्थापित सरकारी अस्पताल है और वहाँ के उपचार अभिलेखों का परीक्षण स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता 01.01.2000 से 04.09.2000 तक अयोग्य था।

ग. जब याचिकाकर्ता घायल हुआ और उसने तत्काल एवं प्रत्यक्ष उपचार प्राप्त किया, चिकित्सा दृष्टि से घायलावस्था की गंभीरता को देखते हुए, उपचार हेतु मुंबई

तक यात्रा करना याचिकाकर्ता के लिए कष्टदायक एवं थकाऊ होता। अतः, एम.बी.एस. अस्पताल, कोटा में उपचार कराने का निर्णय स्वाभाविक रूप से सदाशयी था।

घ. उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त, यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि यह स्वीकृत और/या निर्विवाद स्थिति है कि याचिकाकर्ता की घायलावस्था वास्तव में सेवा/कर्तव्य अवधि के दौरान हुई थी।

10.4 यदि प्रतिवादियों की राय में याचिकाकर्ता मध्यवर्ती अवधि के दौरान फिट था, तो प्रतिवादियों के लिए उसे फिट प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु जगजीवन राम अस्पताल, मुंबई भेजने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जैसा कि अनुबंध-15 दर्शाता है। यह तथ्य कि याचिकाकर्ता को मुंबई से फिट प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए भेजा गया, स्वाभाविक रूप से यह इंगित करता है कि 04.09.2000 से पूर्व याचिकाकर्ता अयोग्य था और प्रतिवादियों की उस बात को खारिज करता है कि याचिकाकर्ता 04.09.2000 से पूर्व फिट था।

11. तदनुसार, उपर्युक्त टिप्पणियों के आलोक में, वर्तमान याचिका स्वीकार की जाती है।

12. परिणामस्वरूप, चुनौतीपूर्ण आदेश दिनांक 04.10.2000, जो अनुबंध-17 और 18 के रूप में चिह्नित हैं, रद्द किए जाते हैं और निरस्त किए जाते हैं।

13. तदनुसार, प्रतिवादियों को निर्देशित किया जाता है कि वे याचिकाकर्ता के पक्ष में, 06.02.2000 से 27.02.2000 एवं 14.03.2000 से 04.09.2000 तक की अवधि के लिए देय वेतन/अनुमान्य राशि का भुगतान जारी करें। इसके अतिरिक्त, यदि कोई परिणामी राहत बनती है, तो वह भी याचिकाकर्ता को दी जाए।
14. यदि कोई लंबित आवेदन हैं, तो वे भी निस्तारित माने जाएं।

(समीर जैन),जे

जेकेपी/5

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra
Advocate